अनुप्रति योजना

❖ **योजना का उद्देश्य** :– राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाऐं जैसे आई.ए.एस., आर.ए.एस., आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी. एन.आई.टी. एवं राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन उपरान्त आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना।

❖ **योजना में विभिन्न स्तरों पर देय प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है:–**

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	विभिन्न स्तर	देय प्रोत्साहन	
		संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु
1	प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	65,000	25,000
2	मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	30,000	20,000
3	साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	5,000	5,000

❖ **प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानो (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम,, ए.आई.आई.एम, एन.आई.टी. एन.एल.यू, आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय** प्रोत्साहन की राशि रूपये 40,000 से 50,000/– रूपये।

❖ **राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेड़िकल/ इंजीनियरींग कॉलेज आर.पी.एम. टी./आर.पी.ई.टी में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय** प्रोत्साहन राशि 10,000/– रूपये।

❖ **पात्रता :–**

VII. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

VIII. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग बी.पी.एल.(स्टेट बी.पी.एल. सहित)/सामान्य वर्ग बीपीएल (स्टेट बीपीएल सहित) परिवार का सदस्य हो।

ix. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक न हो।

x. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उतीर्ण कर लिया गया हो।

xi. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एंव अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।

xii. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

❖ **ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले स्वप्रमाणित दस्तावेजः-**

i. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

iii. आय प्रमाण पत्र की प्रति। (आय प्रमाण पत्र अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो।) यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारी जारी किया गया आय प्रमाण पत्र की प्रति।

iv. सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल प्रमाणित करने के लिए निम्नांकित मे से कोई एक (अ) बीपीएल राशन कार्ड (ब) बीपीएल मेडिकल डायरी (स) ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल होने के प्रमाण पत्र की प्रति।

v. प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा में प्रवेश लेने का अनुमति पत्र (Permission Letter) व परिणाम की प्रति।

vi. अभ्यर्थी को भामाशाह कार्ड, आधार, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट में से किसी एक दस्तावेज की प्रति।

vii. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने पर शिक्षण संस्था का आई.डी. कार्ड एवं प्रथम सेमेसटर की फीस की प्रति।

viii. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैक खाते का नाम, खाता नम्बर, बैक आईएफसी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन में करना होगा।

❖ **ऑन लाईन आवेदन करने की प्रक्रिया :-**

I. Wwbsite: https://sjms.rajasthan.gov.in पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन ऑनलनाइन किया जायेगा।

II. ऑन लाइन आवेदन के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने होगें।

III. ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा।

IV. आवेदन पत्र की हार्डकॉपी व दस्तावेज जिला कार्यालय में जमा नहीं किये जावेंगें।

❖ **आवेदन करने की समय सीमा** : अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के 6 माह की अवधि में आवेदन पत्र संबंधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑनलाइन करना होगा।

uploaded 9/1/15

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )ब.घो.12-13/अनुप्रति यो./साव्याअवि/12/1195-1230 जयपुर, दिनांक : 8/01/2015

उपनिदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....

विषय : संशोधित अनुप्रति योजना नियम-2015 की प्रति भिजवाये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्र क्रमांक 13 ( )ब.घो. 12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/ 66614 दिनांक 24.12.14 के द्वारा संशोधित अनुप्रति योजना नियम-2015 जारी किये गये है। उक्त नियमों की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नियम जनवरी 2015 से प्रभावी होगें। विभाग द्वारा पूर्व में जारी अनुप्रति योजना नियम 2012 में संशोधन करते हुए उक्त नियम जारी किये गये है एवं 24 दिसम्बर 2014 से अनुप्रति योजनान्तर्गत सभी आवेदन पत्र ऑन लाईन ही आवेदन प्राप्त किये जावेगें एवं ऑन लाईन ही स्वीकृति जारी कर अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा। अभ्यर्थी से हार्डकापी के रूप में कोई दस्तावेज किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करवाये जायेगें। अनुप्रति योजना नियम 2012 के परिशिष्ठ 'अ' व 'ब' पूर्व की भाँति ही रहेगें। उक्त परिशिष्ठों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अतः संशोधित अनुप्रति योजना नियम- 2015 के अनुसार ही ऑन लाईन आवेदन पत्रों की ऑन लाईन स्वीकृति जारी ऑन लाईन भुगतान करने की कार्यवाही करावें।

पंलग्न : उपरोक्तानुसार।

5.1.2015

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

क्रमांकः एफ 13 ( )ब.घो.12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/ 1231-1480 जयपुर, दिनांक : 8/01/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलक्टर ....
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
12. निदेशक/प्राचार्य ....
13. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. सयुंक्त निदेशक (योजना)/मुख्य लेखाधिकारी/ उपनिदेशक (देवनारायण) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।

5.1.2015

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

D:\MyDocs\ANUPARTI 2012-13\ANUPRATI RULE 2014.doc

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )ब.घो.12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/66614 जयपुर, दिनांक :24/12/2014

संशोधित अनुप्रति योजना नियम-2015

राजस्थान मूल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल श्रेणी के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा' (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई आई टी, आई आई एम, राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज/राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/नियमों को अतिक्रमित करते हुए राज्य सरकार निम्न नियम बनाती है:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-**
   - I. ये नियम **अनुप्रति योजना (संशोधित) नियम-2015** कहलायेंगे।
   - II. ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।
   - III. ये नियम जनवरी 2015 से प्रभावी होंगे।
2. **परिभाषाएँ :**
   - I. राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
   - II. विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।
   - III. प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य **अतिरिक्त मुख्य सचिव/** प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
   - IV. आयुक्त/निदेशक, से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

v. अभ्यर्थी से तात्पर्य, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल श्रेणी के अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में, राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थान की प्रवेश परीक्षा में, राजस्थान राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग/राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, से है।

vi. मूल निवासी से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी से है।

vii. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/मेडिकल कॉलेज से तात्पर्य उन उच्च शिक्षण संस्थानों से है जो राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित है या राजस्थान सरकार के हैं तथा सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं मेडीकल की शिक्षा प्रदान करते है अर्थात पूर्णतः राजस्थान सरकार के कॉलेज इस श्रेणी में आयेंगे।

viii. जिलाधिकारियों से तात्पर्य जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

ix. आई आई टी, आई आई एम, एन,आई.टी से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा स्थापित आई आई टी, आई आई एम, एन.आई.टी से है तथा राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों से आशय उन मेडिकल कॉलेजों से है जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज हैं, जो योजनान्तर्गत सूचीबद्ध है।

x. पाठ्यक्रम से तात्पर्य अनुप्रति योजनान्तर्गत जिन पाठ्यक्रमों हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, उन पाठ्यक्रमों से है।

xi. विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से तात्पर्य योजनान्तर्गत सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं से है।

xii. प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निदेशालय/आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

2/13

3. अनुदान सहायता :-

(अ) <u>संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतुः-</u>

संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 65,000

(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30,000

(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रुपये 5,000

(ब) <u>राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतुः-</u>

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यर्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः- रूपये 25,000

(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः- रूपये 20,000

(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रुपये 5,000

(स) <u>प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतुः-</u>

संस्थान का नाम	प्रवेश परीक्षा का विवरण	पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय होगी	देय अनुदान की राशि
आई आई टी, आई. टी. बी.एच.यू., आई. एस.एम,	आई.आई.टी., जे.ई.ई.	बी.टैक. इंजिनियरिंग स्नात्तक स्तरीय पाठ्यक्रम/ अन्य पाठ्यक्रम जिनमें इस प्रवेश परीक्षा से प्रवेश हुआ है	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/-रूपये
आई आई एम	कैट	एम.बी.ए. (बिजनिस एडमिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)/ अन्य स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम जिनमें इस प्रवेश परीक्षा से प्रवेश हुआ है	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/-रूपये
ए आई आई एम एस (एम्स)	एम्स में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	एम.बी.बी.एस	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की

			राशि 50,000/-रूपये
इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साईन्स बेंगलोर	संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	बी.एस.	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/-रूपये
इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी	संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	बी.एस-एम.एस बी.टैक	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/- रूपये
राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज	शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	एम.बी.बी.एस	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/-रूपये
राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई टी)	ए.आई.ई.ई.ई	बी.टेक (स्नातक डिग्री)	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/- रूपये
योजनान्तर्गत सूचीबद्ध नेशलन लॉ यूनिवर्सिटी	क्लैट (CLAT)	विधि स्नातक	विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/- रूपये

उक्त वर्णित शिक्षण संस्थानों की सूची परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

द. राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतुः-

शिक्षण संस्थान	प्रवेश परीक्षा का नाम	पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय होगा	देय प्रोत्साहन राशि
राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित या राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज	आर.पी.ई.टी. या अन्य प्रवेश परीक्षा जिसके माध्यम से प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है।	बी.टेक/बी.ई	10,000/- रूपये
राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित या राजकीय मेडिकल कॉलेज	आर.पी.एम.टी या अन्य प्रवेश परीक्षा जिसके माध्यम से प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है।	एम.बी.बी.एस	10,000/- रूपये

उक्त वर्णित शिक्षण संस्थाओं की सूची परिशिष्ठ 'ब' पर संलग्न है।

4. अनुदान की पात्रता :-

I. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

II. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग बी.पी.एल.(स्टेट बी.पी.एल. सहित) एवं सामान्य वर्ग बी.पी.एल. .(स्टेट बी.पी. एल. सहित) का सदस्य हो।

III. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

IV. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उतीर्ण कर लिया गया हो।

V. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

VI. अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल (राज्य बीपीएल सहित)/सामान्य वर्ग बीपीएल (राज्य बीपीएल सहित) परिवार का सदस्य हो।

5. **अनुदान स्वीकृति की शर्ते** : अनुदान स्वीकृति पात्रता के मापदण्डों (नियम 4) एवं निर्धारित देय प्रोत्साहन राशि (नियम 3) के आधार पर निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जावेगी :-

I. सिविल सेवा परीक्षा तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

II. यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उतीर्ण होता है और राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेता है एवं उसके उपरान्त भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होता है तो अभ्यर्थी को पहले दी गई राशि में से अंतर राशि दी जावेगी।

iii. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु लाभ नहीं दिया जायेगा।

iv. विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के पश्चात ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।

v. यदि आई.आई.टी. में किसी छात्र का प्रिपेटरी कोर्स में प्रवेश होता है तो उसे प्रिपेटरी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हाने पर ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।

vi. विभाग की अन्य कोचिंग योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थी को अनुप्रति योजनान्तर्गत मुख्य परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत नही की जावेगी।

vii. अभ्यर्थी को स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा जिसमें निम्नांकित विवरण अंकित हो–

(अ) उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है

(ब) अभ्यर्थी का उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्रयास है।

(स) अभ्यर्थी राजकीय सेवा मे है अथवा नहीं हैं।

viii. यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यार्थी का होगा।

6. आवेदन की प्रक्रिया एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–उपरोक्त राशि के लिये निम्न बिन्दुओं की पूर्ति करने पर अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित जिले, जहाँ का अभ्यर्थी रहने वाला है, के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही आवेदन किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की हार्ड कॉपी/दस्तावेज जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं करवाये जायेगें। जिलाधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों कों ऑन लाईन जॉच कर ऑन लाईन ही स्वीकृति जारी कर अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ–साथ निम्नांकित स्वप्रमाणित दस्तावेज संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने होंगे :–

i. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

iii. आय प्रमाण पत्र की प्रति। (आय प्रमाण–पत्र अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो)। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

iv. सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल प्रमाणित करने के लिए निम्नांकित मे से कोई एक (अ) बीपीएल राशन कार्ड (ब) बीपीएल मेडिकल डायरी (स) ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल होने के प्रमाण पत्र की प्रति।

v. प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा में प्रवेश लेने का अनुमति पत्र (Permission Letter) व परिणाम की प्रति।

vi. अभ्यर्थी को भामाशाह कार्ड, आधार, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट में से किसी एक दस्तावेज की प्रति।

vii. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने पर शिक्षण संस्था का आई.डी. कार्ड एवं प्रथम सेमेसटर की फीस की प्रति।

viii. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैक खाते का नाम, खाता नम्बर, बैक आईएफसी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन में करना होगा।

7. आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा : अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही किया जावेगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र ऑन लाईन परीक्षणोपरांत पूर्ण पाये जाने पर आवेदन पत्र ऑन लाईन किये जाने की दिनांक से दो माह की अवधि में ऑन लाईन स्वीकृति जारी कर ऑन लाईन ही अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

आवेदन पत्र छः माह की अवधि के पश्चात् 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा। आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जावेगी।

उसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर शिथिलता का प्रावधान लागू नहीं होगा।

8. योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन : अनुप्रति योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में इस कार्य हेतु नामित अधिकारी **(प्रभारी अधिकारी)** द्वारा की जायेगी। उक्त योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निम्नानुसार समितियाँ गठित की जाती है :-

(अ) राज्य स्तर पर

1	निदेशक/आयुक्त	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)	सदस्य
3	उपनिदेशक (देवनारायण योजना)	सदस्य
4	लेखाधिकारी, मुख्यावास	सदस्य
5	सहायक निदेशक (शिक्षा)	सदस्य सचिव

(ब) जिला स्तर पर

1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	अध्यक्ष
2	जिला परिषद का लेखाधिकारी	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	जिलाधिकारी, साम्याअवि	सदस्य सचिव

उक्त समितियाँ वर्ष में दो बार लम्बित आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी तथा समस्याओं का निराकरण प्रस्तावित करेगी।

9. नियमों का विनिर्णय : इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

23.12.14

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक